



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आषाढ़, 1944 (श०)

संख्या - 297 राँची, सोमवार,

4 जुलाई, 2022 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

1 जुलाई, 2022 /आषाढ़ 10, 1944 (शक)

सं.480/2/2022(II)--राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 3 की उप धारा (1) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा श्री पी. सी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, लोकसभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली और श्री राजू श्रीवास्तव, निदेशक, लोकसभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली को, रिटर्निंग आफिसर की उनके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2022 के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है।

[फा.सं.480/2/2022(II)]

आदेश से,

अश्वनी कुमार मोहल,

सचिव

उपरोक्त आदेश का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० रवि कुमार,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

1st July, 2022/ Ashadha 10, 1944 (Saka)

No.480/2/2022(II) – In pursuance of sub-section (1) of Section 3 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission of India, hereby appoints Shri P. C. Tirpathy, Joint Secretary, Lok Sabha Secretariat, Parliament House, New Delhi and Shri Raju Srivastava, Director, Lok Sabha Secretariat, Parliament House, New Delhi to be the Assistant Returning Officers to assist the Returning Officer for the Vice-Presidential Election, 2022 in discharge of his official functions.

[F.No.480/2/2022(II)]

By Order,

**ASHWANI KUMAR MOHAL,
SECRETARY**